2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 177 / 2020 (नया)
– 87 / 2018 (पुराना)

GCMS No.2020/00409

1. पतासी देवी पत्नी लीलाधर
2. महेश पुत्र लीलाधर

जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. मातुराम
2. रघुवीर

पुत्रान कुरड़ाराम

3. बोदूराम दत्तक पुत्र महादा
4. गुड़दयाल
5. भाताराम
6. रोहताश
7. महिपाल

पुत्रान हनुमान

8. केशरी पत्नी हनुमान
9. रोशनी पुत्री हनुमान
10. संतोष पुत्री हनुमान
11. फूलाराम
12. बन्सी
13. रतीराम

पुत्रान सरदारा

14. फूली पत्नी सरदारा
15. मूलचन्द
16. शीशराम

पुत्रान सरदारा राम

(1 से 16) समस्त जाति गुर्जर निवासीगण तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा – घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 आर.टी. एक्ट 1955

–:निर्णय :– दिनांक 12–07–2024

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24–01–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम तातीजा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के हाल खाता संख्या नया 203 में दर्ज खसरा नंबर 762 रकबा 0.46

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

है., ख.नं. 763 रकबा 0.18 है., ख.नं. 764 रकबा 0.34 है., ख.नं. 769 रकबा 0.42 है., ख.नं. 781 रकबा 0.98 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.38 है. में खातेदार चन्दा पि0 मीना के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चन्दा पि0 मीना का नाम हजफ किया जाता है। **ग्राम रोड़ासर** स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के हाल खाता संख्या नया 75 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 109, 110, 115, 285, 286 कुल किता 5 कुल रकबा 4.92 है. में खातेदार चन्दा पि0 मीना के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चन्दा पि0 मीना का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर उक्त दोनों राजस्व ग्रामों की वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/913 दिनांक 06.05.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं ''ब–1 व ब–2'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं ''ब–1 व ब–2'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' एवं ''ब–1 व ब–2'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' एवं ''ब–1 व ब–2'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान

पतासी देवी देवी

ब–ना–म

मातुराम आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक व खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **177/2020 (नया), 87/2018 (पुराना)**

निर्णय दिनांक :– **12–07–2024**

वादीगण की ओर से **श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 13 की ओर से **श्री संजय सुरोलिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **12–07–2024** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" एवं "ब–1 व ब–2") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06–05–2024 (प्रदर्श–"अ–1 से अ–7" एवं "ब–1 व ब–2") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **12–07–2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (राज.) जिला- नीमकाथाना

12/7/24.

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी